APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....रामाराम वगैराह .....बनाम.....गोरधनराम वगैराह.....

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. नं. 283 सन 2019

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	प्रार्थी रामाराम वगैराह ओर से वकील श्री दीनदयाल प्रजापत द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है :– 1. आवेदन पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। 2. पक्षकारान पूर्ण है। 3. स्टाम्प पूर्ण है। 4. दर्ज योग्य है। 05/07/19 सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	
05/07/19	वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर ईकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा प्रागाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 899/413 रकबा 21.07 बीघा प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की एवं कब्जासुदा भूमि है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त कब्जासुदा भूमि पर अप्रार्थीगण अविधिक रूप से बलपूर्वक हस्तक्षेप कर मुरडा डालकर जबरन रास्ता निकालने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण इसमे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध	

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख जो इस की तामील जारी हुए

इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निस्तारण तक उपवर्णित भूमि में प्रार्थीगण किसी प्रकार का रास्ता न निकाले प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है। वकील प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत यथा नेखमबन्दी करवाये जाने की पालना रिपोर्ट इत्यादी पेश नही की है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि पक्षकारान के मध्य सीमा सम्बन्धी कोई विवाद है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में ईकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का ठोस कारण पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner